

DIR/8



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 29—जून 4, 2004 (ज्येष्ठ 8, 1926)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29—JUNE 4, 2004 (JYAISTHA 8, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

**राष्ट्रीय आवास बैंक**  
(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)  
नई दिल्ली

**आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक)निर्देश, 2001**

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. डीआईआर. 8/सीएमडी/2004

दिनांक: 14 मार्च 2004

राष्ट्रीय आवास बैंक, लोकहित में इसे अनिवार्य समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होने पर, कि इसकी आवास वित्त प्रणाली को उसके लाभार्थ विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक का समर्थन के उद्देश्यार्थ ऐसा करना आवश्यक है, संतुष्ट होकर, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30ए एवं 31 में प्रदत्त शक्तियों के और इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में, यह निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 तत्काल प्रभाव से, निम्न प्रकार से और संशोधित किए जाएंगे, अर्थात्

**अनुच्छेद 22 में**

**1. उप अनुच्छेद (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**

"(1) (क) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के लिए निवेश नीति बनाएगा और उसे क्रियान्वित करेगा।

(ख) निवेश को चालू एवं दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने का मानदंड कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से निवेश नीति में घोषित किया जाएगा।

(ग) प्रतिभूतियों में निवेश को प्रत्येक निवेश के करने के समय चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा।

(घ) (i) तदर्थ आधार पर अन्तर वर्गीय अन्तरण नहीं होगा;

(ii) यदि अभीष्ट हुआ, तब अन्तर वर्गीय अन्तरण केवल प्रत्येक आधे वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, को निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाएगा।

(iii) निवेश को पर्वी (रिकप) क्रमानुसार, बढी मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से जो भी अल्पतर है पर चालू से दीर्घावधि अथवा इसके विपरीत अन्तरित किया जाएगा;

प्रत्येक पर्वी (रिकप) में अवकाश, यदि कोई है, का पूर्ण प्रावधान किया जाएगा और अधिमूल्यन यदि कोई है, की उपेक्षा की जाएगी;

- (v) एक पर्ची (स्क्रिप) के अवक्षयण को किसी अन्य पर्ची (स्क्रिप) के अधिमूल्यन के लिए, उसी वर्ग की पर्ची (स्क्रिप) के संबंध में भी, ऐसे अन्तर वर्गीय अन्तरण के समय नहीं किया जाएगा।"

**2. उप अनुच्छेद (4) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**

"(4) चालू निवेश की प्रकृति में अनौद्भूत साम्य (इक्विटी) शेयरों का मूल्य लागत अथवा अवशिष्ट मूल्य में से जो भी अल्पतर है, पर लगाया जाएगा। जहां निवेशी कंपनी का तुलन-पत्र दो वर्षों तक उपलब्ध नहीं होता है, वहां ऐसे शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी एक रुपए पर लगाया जाएगा।"

**उपानुच्छेद (4) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**

"(5) चालू निवेश की प्रकृति में अनौद्भूत अधिमान शेयरों का मूल्य लागत अथवा अंकित मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य में से जो भी कम है, पर लगाया जाएगा। यदि निवल आस्ति मूल्य नगण्य है, अथवा निवेशी कंपनी का तुलन-पत्र दो वर्षों तक उपलब्ध नहीं होता है, तब इसे प्रति कंपनी एक रुपए पर लगाया जाना चाहिए।"

वी. श्रीधर

(वी. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**NATIONAL HOUSING BANK**  
(Wholly owned by the Reserve Bank of India)  
New Delhi

**THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001**

Direction No. NHB.HFC.DIR.8/CMD/2004 dated 18<sup>th</sup> May 2004.

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect, be further amended in the following manner, namely:

In paragraph 22,

1. Sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely, -

“(1) (a) The Board of Directors of every housing finance company shall frame investment policy for the company and implement the same;

(b) The criteria to classify the investments into current and long term investments shall be spelt out by the Board of the company in the investment policy;

(c) Investments in securities shall be classified into current and long term, at the time of making each investment;

(d) (i) There shall be no inter-class transfer on ad-hoc basis;

(ii) The inter-class transfer, if warranted, shall be effected only at the beginning of each half year, on April 1 or October 1, with the approval of the Board;

(iii) The investments shall be transferred scrip wise, from current to long-term or vice-versa, at book value or market value, whichever is lower;

(iv) The depreciation, if any, in each scrip shall be fully provided for and appreciation, if any, shall be ignored;

(v) The depreciation in one scrip shall not be set off against appreciation in another scrip, at the time of such inter-class transfer, even in respect of the scrips of the same category”.

**2. Sub-paragraph (4) shall be substituted by the following, namely, -**

“(4) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or break up value, whichever is lower. Where the balance sheet of the investee company is not available for two years, such shares shall be valued at rupee one per company”.

**3. Sub-paragraph (5) shall be substituted by the following, namely, -**

“(5) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value or the net asset value whichever is less . In case the net asset value is negative or the balance sheet of the investee company is not available for two years, it should be valued at rupee one per company”.



(V. Sridar)

Chairman and Managing Director